



UPMI020145572019

न्यायालय Addi. Chief Judicial Magistrate Court No 1, Mirzapur
पीठासीन अधिकारी–(SMT. PALLAVI SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02328

Complaint Cases/14506/2019

Sandeep Kumar Singh प्रति Hariom Bhargav

परिवाद संख्या–1123/2019,,

संदीप कुमार सिंह बनाम हरिओम भार्गव,

अन्तर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट,

थाना–कोतवाली शहर, जिला–मिर्जापुर

दिनांक–30.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत परिवाद सन्–2019 से न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी को आदेश दिनांक–23.11.2021 के द्वारा तलब किया गया था, परन्तु उक्त आदेश के अनुपालन में परिवादी की ओर से आज तक निर्धारित न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया तथा परिवादी लगातार अनुपस्थित चल रहा है। कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत परिवाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत परिवाद पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या–1123/2019, संदीप कुमार सिंह बनाम हरिओम भार्गव, अन्तर्गत धारा–204(4) दंडप्रसंहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पल्लवी सिंह)

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मिर्जापुर।

JO CODE-UP2328

